(130)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3732/2018/राजगढ़/भू.रा. के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 27.02.2018 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण कमांक 43/अपील/2016—17.

.....

1—सुरेश पुत्र श्री हरी सिंह दांगी
निवासी फतेहपुर तहसील खिलचीपुर
जिला राजगढ म0 प्र0
2—श्रीनाथ पुत्र श्री गोकुल दांगी
निवासी कुआंखेड़ा तहसील खिलचीपुर
जिला राजगढ़ म0 प्र0

———आवेदकगण

विरूद्ध

1—रामस्वरूप पुत्र श्री किशनलाल महाजन
2—सुरेश कुमार पुत्र श्री बद्रीलाल महाजन
दोनों निवासीगण खिलचीपुर जिला
राजगढ म0 प्र0

———अनावेदकगण

श्री रमेश सक्सेना, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री संजीव शर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 15/4/19 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.02.2018 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2–प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण ने तहसीलदार खिलचीपुर के समक्ष ग्राम खिलचीपुर स्थित उनके खाते की सर्वे कमांक 465/8 रकवा 0.759 है0 भूमि के नक्शे में तरमीम उठाने हेतु दिनांक 14.3.16 को आवेदन प्रस्तुत किया। तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर इश्तहार जारी किया गया एवं बंटाकन में शामिल खातेदार तथा मेड़ पड़ोसी कृषकों की जानकारी पटवारी से प्राप्त कर जांच उपरांत हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत अक्स नक्शा स्वीकृत कर दिनांक 30.8.16 को सर्वे कमांक 465/8 रकवा 0.759 है0 भूमि की तरमीम लाल स्याही से पुख्ता करने हेतु आदेश पारित किया गया। तहसीलदार के इस आदेश के विरूद्व अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी खिलचीपुर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा प्रकरण कमांक 72/अपील/अ–3/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 19.12.16 द्वारा स्वीकार करते हुये विचारण न्यायालय को आवेदक द्वारा प्रथक से बंटाकन का आवेदन प्रस्तुत करने पर विधिवत सभी पड़ोसी कृषकों एवं उत्तरवादीगण को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर देकर बटांकन स्वीकृति की कार्यवाही करने का आदेश पारित किया गया। इस आदेश से दुखित होकर आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त भोपाल के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जो प्रकरण कमांक 43/अपील/2016–17 पर दर्ज होकर दिनांक 27.2.18 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुये अपील निरस्त की गई, इसी से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा लेखी बहस प्रस्तुत की। अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा भी लेखी बहस प्रस्तुत की गई है। उभयपक्ष के अधिवक्तागण के द्वारा प्रस्तुत लेखी बहस का अवलोकन किया गया। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों का अधिकतर लेख किया गया है जो उनके द्वारा अपने निगरानी मेमों में अंकित किये गये हैं।

4—उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदभ्र में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त कर तहसीलदार को निर्देश दिये गये हैं कि आवेदकगण द्वारा पृथक से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर विधिवत सभी पड़ोसी कृषकों को एवं अपीलांट को सूचना दी जाकर सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर देकर बटांकन स्वीकृत की कार्यवाही करें इससे परिलक्षित होता है कि अपरोक्ष रूप से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण तहसीलदार को निपटारे के लिये पत्यावर्तित किया है, जबकि **म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 49 में हुये संशोधन के** फलस्वरूप अनुविभागीय अधिकारी को स्वयं उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर और यदि आवश्यक था तो अतिरिक्त साक्ष्य लेकर बंटाकन स्वीकृत की कार्यवाही करते अर्थात् प्रकरण का अंतिम रूप से निराकरण करते, परन्तु उन्हें प्रकरण निपटारे के लिये तहसीलदार को प्रतिप्रेषण करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं थी। अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश इसी आधार पर विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से निरसती योग्य हैं यहां महत्वपूर्ण विचारणीय प्रश्न है कि आवेदकगण की ओर से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष यह आधार उठाया गया था कि अनावेदकगण की भूमि सर्वे नम्बर 719/3 की पूर्व दिशा की सीमा विधुत मण्डल की तार सीमा से प्रारंभ होती है, और आवेदकगण द्वारा सर्वे नम्बर 465 व 719 के मध्य कोई विभाजन या तरमीम नहीं चाही गई है। उक्त आधार का उल्लेख भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में किया गया, परन्तु उस पर कोई विवेचना नहीं की गई है कि अनावेदकगण के हित किस प्रकार से प्रभावित हो रहे है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा केवल तकनीकी त्रुटियां दर्शाकर आदेश पारित किया है, जो न्यायिक कार्यवाही नहीं कही जा सकती हैं अतः स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अनुचित है। इसलिये उसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। चूंकि अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के विधि विपरीत आदेश की पुष्टि की गई है, इसलिये उनका आदेश भी निरस्त किये जाने योग्य है।

5—उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी खिलचीपुर के प्रकरण कमांक 72/अपील/अ—3/2015—16 में पारित आदेश दिनांक 19.12.16 एवं अपर आयुक्त भोपाल का प्रकरण कमांक 43/अपील/2016—17 में पारित आदेश दिनांक 27.2.18 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा तहसीलदार खिलचीपुर के प्रकरण कमांक 1/अ—3/2015—16 में पारित आदेश दिनांक 30.8.16 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर